संख्या:17एम(4)/35-आ0-1/2009-12-टी0सी0

प्रेषक,

प्रमुख सचिव,

नियोजन विभाग,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0

2- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0

राज्य योजना आयोग-1
नियोजन विभाग

लखनऊ:दिनांक:दिसम्बर 31, 2014

विषय: आधार नामांकन हेतु ऐसे निवासियों जिनके पास स्वयं की पहचान और अपने निवास स्थान के समुचित साक्ष्य उपलब्ध न हों, के लिये परिचयकर्ता सह सत्यापक की नियुक्ति किया जाना।

महोदय,

कृपया उपरोक्त के सम्बन्ध में राज्य योजना आयोग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या:17एम(4)/35-आ0-1/2009-12, दिनांक:15-09-2011 (प्रतिलिपि संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त कार्यालय-ज्ञाप द्वारा आधार नम्बर हेतु नामांकन प्रक्रिया के दौरान ऐसे निवासियों जिनके पास स्वयं की पहचान और अपने निवास स्थान के समुचित साक्ष्य उपलब्ध न हों, की पहचान एवं निवास पते के सत्यापन तथा पहचान और निवास स्थान के साक्ष्य के रुप में प्रस्तुत किये जाने वाले अभिलेखों के प्रमाणीकरण हेतु परिचयकर्ता सह सत्यापक के रुप में 1-लेखपाल 2-ग्राम पंचायत अधिकारी 3-ग्राम विकास अधिकारी 4-अध्यापक-प्राइमरी विद्यालय 5- ए0एन0एम0 6-शिक्षामित्र 7-आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं 8-आशा को अपने-अपने कार्यक्षेत्र के लिये नियुक्त करने तथा उन्हें रु0 2-00 (रुपया दो) मात्र प्रति सफल नामांकन की दर से प्रोत्साहन धनराशि अनुमन्य किये जानें का प्राविधान है।

3- कृपया उक्तानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित करनें का कष्ट करें।

भवदीय,

संलग्नक:उपरोक्तानुसार।

30/12/14

(डा0 देवेश चतुर्वेदी)
प्रमुख सचिव